(50)

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

मुन्नालाल बनाम भेरुलाल

रस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 03/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
07/01/22 2022/16	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी श्री / ~~श्रीमती~~ मुन्नालाल पिता श्री रामलाल होली निवासी– धारियावली तहसील व जिला चित्तौडगढ़ ने ग्राम .... स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 2454 मी/0.12, 2712 मी/0.085, 2713 मी/0.54, 3463/2712/0.01 कुल कीता 4 कुल रकबा 0.7550 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थी की ग्राम धारियावली स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 2454 मी/0.12, 2712 मी/0.085, 2713 मी/0.54, 3463/2712/0.01 कुल कीता 4 रकबा 0.7550 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेंन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 500=00 रूपये अक्षरे पांच सौ मात्र प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो। (श्याम सुन्दर बिश्नोई) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.01.15 15:23:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

क्रमांक / सरिश्ता / प्रा.पत्र 03/2022/05 दिनांक 10/01/22

तहसीलदार
चित्तौड़गढ़

विषय : पत्थरगढ़ी करने के सम्बन्ध मे।

प्रकरण : मुन्नालाल पिता रामलाल ढोली R/o धारियावली — प्रार्थी

बनाम

1- भैरूलाल पिता केला जी धाकड़ R/o धारियावली खेड़ा
2- धापु पत्नी बरदा धाकड़ R/o धारियावली खेड़ा, धारियावली
3- लालुराम पिता पन्नालाल ढोली R/o धारियावली

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

उपरोक्त विषयाकिंत अनवान के प्रकरण मे ग्राम धारियावली खतौनी सं. 620 सम्वत् 2067 - 2070 मे अकिंत आराजी नम्बर 2454 मी; 2712 मी, 2713 मी 3463/2712 कुल **किता** 4 रकबा 0.7550 है. भूमि की नियमानुसार मौके पर विवाद रहित पाये जाने पर कब्जे में दखलन्दाजी किये बिना पक्षकारों को सूचना देकर सीमाकंन (पत्थरगढ़ी) कर दिया जावें। खर्चा कमिश्नर शुल्क रूपये 500=00 अक्षरे पांच सौ रूपये मात्र प्रार्थी वहन करेगें। पालना रिपोर्ट न्यायालय मे (15 दिवस में) शीघ्र भिजवें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.01.15 16:23:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

(सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.))